Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में जाति और समुदाय की पहचान को बनाए रखने में विवाह की भूमिका

डॉ. योगेन्द्र जैन*

* अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, शामगढ़ (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत में विवाह जाति, समुदाय, धर्म और सामाजिक मानदंडों के एक जटिल मैट्रिक्स में गहराई से समाया हुआ है। कई पश्चिमी समाजों के विपरीत जहाँ विवाह को मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत या रोमांटिक मिलन के रूप में देखा जाता है, भारत में यह अक्सर जाति और समुदाय की सीमाओं को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए एक सामाजिक-सांस्कृतिक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह शोध पत्र भारत में जाति और समुदाय की पहचान को मजबूत करने वाली एक मौलिक संस्था के रूप में विवाह की भूमिका का पता लगाता है, जिसमें विद्वानों के स्रोतों, सरकारी रिपोर्टों और समाजशास्त्रीय केस स्टडीज की एक श्रृंखला से द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है। यह समझने का प्रयास करता है कि कैसे वैवाहिक प्रथाएँ, विशेष रूप से अंतर्विवाह (अपने ही समूह के भीतर विवाह), एक आधुनिक, संवैधानिक रूप से समतावादी समाज में भी जाति पदानुक्रम और सामुदायिक अलगाव की निरंतरता में योगदान करती हैं।

धार्मिक और ऐतिहासिक स्तरीकरण में निहित जाति व्यवस्था, भारतीय सामाजिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती है, जिसमें विवाह इसके सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। मनुस्मृति युग से ही जातिगत अंतर्विवाह के सिद्धांत पर जोर दिया जाता रहा है और सामाजिक रीति-रिवाजों में संस्थागत रूप दिया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जाति की सीमाएँ अभेद्य रहें। अपनी जाति के भीतर विवाह करना शुद्धता बनाए रखने, सांस्कृतिक अनुष्ठानों को संरक्षित करने, संपत्ति और वंश की रक्षा करने और समूह की एकजुटता को मजबूत करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। समुदाय के बुजुर्ग, परिवार और सामाजिक मानदंड इस परंपरा को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो सामाजिक पुनरुत्पादन और पहचान संरक्षण के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह शोधपत्र जाति-आधारित विवाह प्रथाओं में रुझानों की पहचान करने के लिए भारत की जनगणना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFMS), अकादमिक शोध (जैसे, एम.एन. श्रीनिवास, दीपांकर गुप्ता, पेट्रीसिया उबेरॉय द्वारा किए गए कार्य) और समकालीन सामाजिक शोध लेखों के आंकड़ों की व्यवस्थित रूप से जाँच करता है।

शब्द कुंजी – जाति प्रथा, सगोत्र विवाह, सामुदायिक पहचान, जातिगत अंतर्विवाह।

प्रस्तावना – एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे में एक केंद्रीय स्थान रखता है। दो व्यक्तियों के बीच एक व्यक्तिगत संबंध से कहीं अधिक, यह एक सामूहिक, अक्सर रणनीतिक व्यवस्था है जो पारिवारिक गठबंधन निर्माण से लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता तक कई कार्य करती है। भारतीय समाज में विवाह द्वारा निभाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक जाति और सामुदायिक पहचान को सुदृढ़ और स्थायी बनाना है। तेजी से आधुनिकीकरण, बढ़ते शहरीकरण और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए बढ़ती वकालत के बावजूद, विवाह निर्णयों पर जाति का प्रभाव शक्तिशाली और व्यापक बना हुआ है।

भारतीय समाज में, जाति व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने, व्यवसाय, स्थिति और यहां तक कि पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती रही है। यह स्तरीकरण, जो सदियों से गहराई से संस्थागत है, अपनी संरचना और सुसंगतता को बनाए रखने के लिए अंतर्विवाही विवाह – एक जाति समूह के भीतर विवाह करने की प्रथा – पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अंतर्विवाह ने यह सुनिश्चित किया है कि जाति की सीमाएँ बरकरार रहें, जिससे सामाजिक पदानुक्रमों की निरंतरता और पीढ़ियों में सांस्कृतिक मानदंडों, अनुष्ठानों और मूल्यों का संचरण हो सके। धार्मिक रीति-रिवाजों, पितृसत्तात्मक मूल्यों और क्षेत्रीय परंपराओं के साथ जाति के अंतर्संबंध ने एक जटिल और बहुस्तरीय मैट्रिक्स को जन्म दिया है, जहां विवाह पहचान संरक्षण के एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है।

भारत में विवाह प्रथाओं की ऐतिहासिक जांच से पता चलता है कि जाति के मानदंड कितने गहरे हैं। मनुस्मृति जैसे प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों में स्पष्ट रूप से नियम दिए गए थे कि कौन किससे विवाह कर सकता है, जिसमें जाति की शुद्धता बनाए रखने पर जोर दिया गया था। सामाजिक बहिष्कार की धमकी देकर विचलन को हतोत्साहित किया जाता था, और कई मामलों में, अंतर-जातीय विवाह के लिए दंड बहुत कठोर था, जिसमें बहिष्कार से लेकर हिंसा तक शामिल थी। इन धार्मिक और सांस्कृतिक निषेधाज्ञाओं को बाद में औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा संहिताबद्ध किया गया, जिन्होंने जाति को शासन और जनगणना वर्गीकरण के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। इस प्रकार, पारंपरिक और आधुनिक दोनों संस्थाओं ने भारत में वैवाहिक प्रथाओं के मूल ढांचे में जाति को समाहित करने में भूमिका निभाई है।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक प्रगतिशील संविधान अपनाया जिसने जाति-आधारित भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया और समानता को बढ़ावा दिया। हालाँकि, कानूनी और राजनीतिक ढाँचे सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में केवल आंशिक रूप से ही सफल रहे हैं। विवाह, एक निजी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण, प्रभावी राज्य हस्तक्षेप के दायरे से काफी हद तक बाहर रहा है। विशेष विवाह अधिनियम (1954) जैसे कानून अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह को सक्षम करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उनके कार्यान्वयन को समाज और प्रशासनिक तंत्र दोनों से लगातार प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। जाति के मानदंडों की अवहेलना करने वाले जोड़ों को अक्सर भारी पारिवारिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है, और चरम मामलों में, सम्मान-आधारित हिंसा के अधीन होते हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, खास तौर पर समाज के शहरी और शिक्षित वर्गों में। प्रेम विवाहों में वृद्धि, गतिशीलता में वृद्धि और शिक्षा के प्रसार ने जातिगत मानदंडों को चुनौती देना शुरू कर दिया है। फिर भी, ये तथाकथित आधुनिक विवाह भी अक्सर अनजाने में जातिगत प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि शहरी युवाओं में भी जो प्रेम विवाह करते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण अनुपात अपनी ही जाति से साथी चुनते हैं। वैवाहिक वेबसाइटें, जो विवाह-सम्बन्धी विवाह के लिए एक लोकप्रिय माध्यम के रूप में उभरी हैं, नियमित रूप से जाति को प्राथमिक खोज फिल्टर के रूप में शामिल करती हैं, जो आधुनिक तकनीक की आड़ में अंतर्जातीय विवाह प्रथाओं को मजबूत करती हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFMS-5), भारत की जनगणना और विभिन्न शैक्षणिक अध्ययनों जैसे द्वितीयक डेटा स्रोत इस बात को पुष्ट करते हैं कि जाति विवाह में प्रमुख भूमिका निभाती है। NFMS-5 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में केवल 5.8% विवाह अंतरजातीय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या और भी कम है, जहाँ सामुदायिक निगरानी और रिश्तेदारी नेटवर्क अधिक मजबूत हैं। एम.एन. श्रीनिवास और दीपांकर गुप्ता जैसे शैक्षणिक शोधकर्ताओं ने यह सिद्धांत बनाया है कि जातिगत अंतर्विवाह न केवल सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बल्कि सांस्कृतिक पूंजी, आर्थिक संपत्ति और पारिवारिक सम्मान को भी संचारित करने के लिए कार्य करता है।

विवाह के माध्यम से जाति संरक्षण का लिंग आधारित पहलू एक और महत्वपूर्ण आयाम है। महिलाओं को अक्सर परिवार और जाति के सम्मान की वाहक के रूप में देखा जाता है, और उनके वैवाहिक विकल्पों पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण रखा जाता है। दहेज, कन्यादान (बेटी का उपहार) और अरेंज मैरिज जैसी प्रथाएं महिलाओं के वस्तुकरण और पितृसत्तात्मक और जाति-आधारित पदानुक्रम को बनाए रखने में उनकी भूमिका को दर्शाती हैं। उच्च जाति की महिलाओं और निम्न जाति के पुरुषों के बीच अंतर-जातीय विवाहों को सबसे कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सम्मान हत्या या जबरन अलगाव होता है। ये प्रथाएं बताती हैं कि सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए जाति और लिंग उत्पीड़न कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं।

क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताएं भी इस बात को आकार देती हैं कि विवाह जाति और समुदाय की पहचान को बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे कार्य करता है। उत्तारी भारत में, विशेष रूप से हरियाणा, उत्तार प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में, जाति-आधारित पंचायतें (खाप पंचायतें) विवाह गठबंधनों को सक्रिय रूप से विनियमित करती हैं और सामाजिक प्रतिबंधों के माध्यम से सजातीय विवाह को लागू करती हैं। दक्षिण भारत में, हालांकि थोड़ा अधिक उदार दृष्टिकोण है, लेकिन वैवाहिक निर्णयों में जातिगत विचार अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में -जाति के धार्मिक विरोध के बावजूद - सामाजिक प्रथाएँ अक्सर हिंदू जाति पदानुक्रमों को प्रतिबिंबित करती हैं, जिसमें बिरादरियों, संप्रदायों या जाति-समतुल्य समूहों के भीतर सजातीय विवाह का अभ्यास किया जाता है।

प्रौद्योगिकी ने जाति-सचेत वैवाहिक प्रथाओं में एक नया आयाम जोड़ा है। शादी.काम, भारत मैट्रिमोनी और जीवनसाथी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को जाति, उप-जाति और सामुदायिक संबद्धता के आधार पर साथी खोजने की अनुमति देते हैं। इन प्लेटफॉर्म को प्रगतिशील के रूप में विपणन किया जाता है, लेकिन अक्सर पारंपरिक प्राथमिकताओं को मजबूत करते हैं। यहां तक कि डेटिंग ऐप भी इसी तरह के रुझान दिखाते हैं, जिसमें उपयोगकर्ता सांस्कृतिक और जाति-आधारित पहचान के आधार पर संभावित मैचों को फिल्टर करते हैं। जाति मानदंडों का यह डिजिटल सुदृढ़ीकरण तकनीकी परिवर्तन के सामने पारंपरिक संरचनाओं की अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। फिर भी, जातिगत सजातीय विवाह के प्रति प्रतिरोध बढ़ रहा है, जिसका नेतृत्व नागरिक समाज संगठन, युवा आंदोलन और अंतरजातीय जोड़े स्वयं कर रहे हैं। साहित्य, सिनेमा और सोशल मीडिया भी रूढ़ियों को चुनौती देने और जाति-तटस्थ प्रेम और विवाह के विचार को बढ़ावा देने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 'सैराट' और 'आर्टिकल 15' जैसी फिल्मों में अंतरजातीय संबंधों के चित्रण ने सार्वजनिक बहस को जन्म दिया है और विशेष रूप से युवा आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाई है।

शोध उद्देश्य - भारत में जाति और समुदाय की पहचान को बनाए रखने में विवाह की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध पद्धति - यह अध्ययन द्वितीयक डेटा विश्लेषण पर आधारित गुणात्मक शोध डिजाइन का उपयोग करता है। यह समझने के लिए विभिन्न डेटा स्रोतों की खोज की गई कि भारत में जाति और समुदाय की पहचान को संरक्षित करने में विवाह किस प्रकार योगदान देता है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण डेटा, जनसांख्यिकीय रुझानों और मौजूदा विद्वानों की चर्चाओं पर सामग्री विश्लेषण किया गया। जाति-आधारित वैवाहिक प्रथाओं के आसपास प्रचलित पैटर्न और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों की व्याख्या करने के लिए निष्कर्षों को विषयगत रूप से वर्गीकृत किया गया था।

शोध विश्लेषण - यह शोध विश्लेषण करता है कि भारत में विवाह किस तरह जाति और समुदाय की पहचान को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करना जारी रखता है। द्वितीयक डेटा स्रोतों, ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से आकर्षित होकर, विश्लेषण सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के संवैधानिक और कानूनी प्रयासों के बावजूद जाति पदानुक्रम को मजबूत करने में अंतर्विवाह की निरंतर भूमिका को रेखांकित करता है।

भारत में विवाह केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है यह एक रणनीतिक सामाजिक प्रथा है जो बड़े जाति ढांचे में गहराई से अंतर्निहित है। ऐतिहासिक रूप से धार्मिक निषेधाज्ञाओं में निहित, विशेष रूप से मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में, अंतर्विवाह की परंपरा को जाति शुद्धता और सामाजिक व्यवस्था बनाए

रखने के साधन के रूप में स्थापित किया गया था। यह प्रणाली, जिसे बाद में औपनिवेशिक प्रशासनिक प्रथाओं द्वारा मजबूत किया गया, स्वतंत्रता के बाद के भारत में भी लचीली बनी हुई है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFMS-5) जैसे द्वितीयक डेटा से सबसे चौंकाने वाले खुलासे में से एक यह है कि दशकों के आधुनिकीकरण, शिक्षा और शहरीकरण के बावजूद, 90% से अधिक विवाह अभी भी एक ही जाति में होते हैं। यह दर्शाता है कि जातिगत अंतर्विवाह आबादी में गहराई से समाया हुआ है। जबकि शहरी और शिक्षित समूह थोड़े विचलन दिखाते हैं, बहुसंख्यक अभी भी पारंपरिक मानदंडों के अनुरूप हैं, अक्सर पारिवारिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण।

शोध इस बात पर प्रकाश डालता है कि विवाह न केवल सामाजिक पुनरुत्पादन के साधन के रूप में कार्य करता है, बल्कि पीढ़ियों में सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक संसाधनों और प्रतीकात्मक पूंजी को प्रसारित करने का एक तरीका भी है। एम.एन. श्रीनिवास और दीपांकर गुप्ता जैसे विद्वानों ने लंबे समय से इस बात पर जोर दिया है कि जाति न केवल सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रणाली है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का एक रूप भी है, जिसे विवाह जैसे अनुष्ठानों और प्रथाओं के माध्यम से मजबूत किया जाता है। लिंग गतिशीलता इस तस्वीर को और जटिल बनाती है। महिलाओं को, विशेष रूप से, जाति सम्मान के वाहक के रूप में देखा जाता है, जिससे उनके वैवाहिक विकल्प अत्यधिक विनियमित होते हैं। दहेज, तयशुदा विवाह और अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध जैसी प्रथाएँ ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से पितृसत्तात्मक और जातिगत मानदंड पदानुक्रमिक संरचनाओं को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। उच्च जातियों की महिलाओं और निचली जातियों के पुरुषों को शामिल करने वाले अंतरजातीय विवाहों को सबसे कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर सम्मान हत्याओं या सामाजिक बहिष्कार के रूप में प्रकट होता है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट और डेटिंग ऐप जैसी तकनीकी प्रगति ने विरोधाभासी रूप से जाति चेतना को मजबूत किया है। जबकि ये प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता और विकल्प का भ्रम प्रदान करते हैं, उनमें अक्सर जाति फिल्टर और समुदाय-विशिष्ट श्रेणियाँ शामिल होती हैं जो अंतर्जातीय वरीयताओं को बनाए रखती हैं। इस प्रकार, पारंपरिक मानदंडों को एक नए आवरण के तहत बनाए रखने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।

धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेद भी जाति-आधारित वैवाहिक प्रथाओं को प्रभावित करते हैं। उत्तर भारत में, खाप पंचायतें विवाह मानदंडों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जबकि दक्षिण भारत में, हालाँकि अधिक उदार, जाति अभी भी विवाह-सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुस्लिम, ईसाई और सिख जैसे गैर-हिंदू समुदाय भी जाति-समतुल्य पदानुक्रम को दर्शाते हैं, जो अपने-अपने संप्रदायों और बिरादरियों के भीतर सजातीय विवाह को बनाए रखते हैं।

इन जड़ जमाए हुए सिस्टम के बावजूद, नागरिक समाज, अंतरजातीय जोड़ों और युवा वकालत समूहों के नेतृत्व में प्रतिरोध बढ़ रहा है। लव कमांडो और धनक ऑफ ह्यूमैनिटी जैसी पहल जाति की सीमाओं को चुनौती देने वाले जोड़ों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती हैं। लोकप्रिय संस्कृति – फिल्मों, साहित्य और सोशल मीडिया के माध्यम से – भी सार्वजनिक प्रवचन को बदलना शुरू कर दिया है, जिससे जाति-तटस्थ प्रेम और विवाह के आख्यानों के लिए जगह बन रही है।

हालांकि, बदलाव धीमा है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अंतरजातीय विवाह के लिए सैद्धांतिक समर्थन बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक अभ्यास काफी पीछे है। विश्वास और व्यवहार के बीच यह अंतर भारतीय समाज में जाति चेतना की गहरी जड़ें दर्शाता है।

संक्षेप में, विश्लेषण पुष्टि करता है कि भारत में विवाह जाति और सामुदायिक पहचान को बनाए रखने का एक प्राथमिक साधन बना हुआ है। जबकि कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं, खासकर युवाओं और शहरी क्षेत्रों में, समग्र प्रवृत्ति सजातीय विवाह के पक्ष में बनी हुई है। स्थायी परिवर्तन के लिए न केवल कानूनी सुधारों की आवश्यकता होगी, बल्कि व्यापक सांस्कृतिक बदलाव की भी आवश्यकता होगी जो जाति-आधारित पहचान के मूलभूत तर्क को चुनौती दे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–2
2. Uberoi, Patricia. Family, Kinship and Marriage in India. Oxford University Press, 1993.
3. Srinivas, M.N. Social Change in Modern India. Orient Longman, 1966.
4. Gupta, Dipankar. Interrogating Caste. Penguin Books, 2000.
5. Sharma, Ursula. Caste. Open University Press, 1999.
6. Government of India. Census Reports (2011).
7. Sharma, K. (2016). "Caste and Marriage: Interrogating the Patterns of Continuity and Change." Economic and Political Weekly.
8. Indian Journal of Psychology and Education (2024). "Relationship among Caste Identity, Chastity Beliefs, and Marriage Practices.https://ijip.in/wp-content/uploads/2024/09/18.01.230.20241203.pdf
9. Journal of International Women's Studies. "Insidious Interlocking of Gender and Caste: Consequences of Endogamy in India. https://vc.bridgew.edu/jiws/vol25/iss1/15/

****